<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 4902

26 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

आरआईएनएल द्वारा पुनर्वास

4902. श्री एम॰ मुरली मोहनः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र) के विस्थापित व्यक्तियों/पुनर्वासित व्यक्तियों (आर कार्डधारकों), जिनकी भूमि वीएसपी प्रबंधन द्वारा अधिगृहीत की गई थी, को अब तक रोजगार प्रदान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रोजगार पुनर्वास के लिए अभी भी इंतजार कर रहे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को रोजगार के बदले मुआवजा प्रदान करने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार 45 वर्ष एवं उससे ज्यादा की उम्र पार कर चुके विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों को नौकरी देने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) से (ग): विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी) के लिए भूमि का अधिग्रहण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। भू-स्वामियों/विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति और पुनर्वास के लाभ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जहाँ तक विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का संबंध है, वीएसपी पहले ही रजामंद 5000 विस्थापितों की तुलना में 7650 विस्थापितों को रोजगार प्रदान कर चुका है।

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

*****